न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 124/2012 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2012/00077

उनवान

1. रामविलास पुत्र श्री चिम्मन (दौराने अपील फौत)
   1/1. रामादेवी आयु करीब 45 वर्ष पत्नी स्व0 रामविलास।
   1/2. राजू आयु करीब 23 वर्ष पुत्र स्व0 रामविलास।
   1/3. पिन्टू आयु करीब 20 वर्ष पुत्र स्व0 रामविलास।
   1/4. शशिकान्त आयु करीब 18 वर्ष पुत्र स्व0 रामविलास।
   1/5. राजकुमारी आयु करीब 17 वर्ष पुत्री स्व0 रामविलास नाबालिग सरपरस्ती मॉ रामा देवी समस्त जातिगण धोबी निवासीगण ग्राम बदरिका तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
2. विनोद पुत्र श्री चिम्मन जाति धोबी निवासी बदरिका तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
3. प्रमोद पुत्र श्री चिम्मन जाति धोबी निवासी बदरिका तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
4. मीना देवी पुत्री श्री चिम्मन जाति धोबी निवासी नुनहेरा तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर।
5. शिवदेई वेवा श्री चिम्मन जाति धोबी निवासी ग्राम बदरिका तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. किशोरी पुत्र सुखुआ जाति धोबी निवासी बदरिका तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
2. रामभरोसी पुत्र सुखुआ जाति धोबी निवासी बदरिका तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
3. हुक्म सिंह पुत्र सुखुआ जाति धोबी निवासी बदरिका तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
4. किरन देई पुत्री सुखुआ पत्नी जालिका जाति धोबी निवासी बदरिका तहसील सैपऊ जिला धौलपुर हाल आबाद निवासी गौशाला तांतपुर तहसील खेरागढ जिला आगरा उत्तर प्रदेश।
5. आशा पुत्री रघोली पत्नी जसवंत जाति धोबी निवासी बदरिका तहसील सैपऊ जिला धौलपुर हाल आबाद भवनपुरा तहसील खेरागढ जिला आगरा उत्तर प्रदेश।
6. गुड्डी पुत्री रघोली पत्नी रामबाबू जाति धोबी निवासी बदरिका तहसील सैपऊ जिला धौलपुर हाल आबाद हींग की मण्डी आगरा तहसील व जिला आगरा उत्तर प्रदेश।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर राज0।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 का0 अ0 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर दि0 17.05.2012 प्र.सं. 135/2011 उनवानी रामविलास बनाम किशोरी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री योगेश कुमार शर्मा उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री विनोद भार्गव उपस्थित।

निर्णय दिनांक–19.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2012 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा आधीन धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम बदरिका तहसील सैपऊ जिला धौलपुर खसरा नम्बर साविक 103 रकवा 01 बीघा 12 बिस्वा जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 141 रकवा 01 बीघा 06 विस्वा के अभिलिखित खातेदार अपीलाण्ट/वादीगण व रैस्पो0/प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 के पूर्व पुरूष गोकुला पुत्र पूरना थे। गोकुला का निधन हो चुका है। परन्तु रैस्पो0/प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 4 के पिता ने बन्दोबस्त के दौरान कर्मचारियों से साज कर विवादित आराजी के राजस्व इन्द्राजात गैर कानूनी रूप से अपने नाम अंकित करवा लिये। जबकि बन्दोबस्त के दौरान बदले गये इन्द्राजात मुकाबले अपीलाण्ट/वादीगण शून्य एवं बेअसर हैं। इन गलत इन्द्राजात के आधार पर रैस्पो0/प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 4 विवादित आराजीयात को दीगर व्यक्तियों को रहन,वय,मुन्तकिल एवं बेदखल करने की धमकी देते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में 2/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कराने एवं तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर रैस्पो0/प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी लिखित बहस पेश करते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय तनकी संख्या 01 की विवेचना में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की है। अपीलाण्ट के पूर्वज गोकुला पुत्र पूरना संवत 2006 से विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर बतौर शिकमी काश्तकार काबिज थे तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के फलस्वरूप कानून के प्रभाव से गोकुला के राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर स्वत्व एवं कब्जे को दृष्टिगत रखते हुये धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सुखुआ के स्थान पर गोकुला पुत्र पूरना को जरिये

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामान्तकरण संख्या 243 संलग्न जमाबन्दी संवत 2016 से 2019 खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे तथा गोकुला संवत 2016 से बन्दोबस्त के पूर्व तक राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार अंकित रहे थे तथा बन्दोबस्त कर्मचारियों ने बन्दोबस्त संवत 2028 के दौरान गोकुला के स्थान पर सुखुआ के इन्द्राजात अवैध रूप से परिवर्तित किये हैं। अपीलाण्ट ने अपने जिम्मे की सभी तनकियों को दस्तावेजी साक्ष्य से भलीभॉत साबित किया है। रैस्पो0 ने अपनी ओर से अधीनस्थ न्यायालय में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा अपीलाण्ट खारिज करने में कानूनी भूल की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट ने नामान्तकरण संख्या 243 एवं संलग्न जमाबन्दी संवत 2016 से 2019 प्रदर्श 11 से गोकुला पुत्र पूरना के खातेदारी के स्त्रोत को साबित किया हैं, जिससे गोकुला की विवादित आराजी में खातेदारी पूर्णतः एवं निर्विवाद रूप से सिद्ध थी। गोकुला पुत्र पूरना बन्दोबस्त होने के पूर्व तक वहैसियत खातेदार काश्तकार के राजस्व रिकार्ड पर काबिज थे बन्दोबस्त कर्मचारियों ने बन्दोबस्त के दौरान बिना किसी आदेश एवं सक्षम अधिकार के गोकुला के खातेदारी इन्द्राजात लोपित कर रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 04 के पिता सुखुआ के नाम विवादित आराजी पर खातेदारी इन्द्राजात अंकित कर दिये। बन्दोबस्त कर्मचारियों का उक्त कृत्य पूर्णतः अवैध तथा क्षेत्राधिकार के विहीन था। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0आर0जे0 2017(1) पेज 664, आरआरटी 2001(1) पेज 244, 596, 2008(1) पेज 151(एच.सी.), 2009(2) पेज 1026, 2007(1) पेज 27, 2013(1) पेज 226, 391, 2015(2) पेज 1214 का उद्धरण पेश करते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट ने वाद पत्र में यह कही भी अंकित नहीं किया है विवादित आराजी उनके पूर्वजो के पास कहॉ से और किस तरह और किस कानून के तहत प्राप्त हुई। रैस्पो0 के पिता सुखुआ पुत्र हरफूल संवत 1996 से विवादित आराजी के नौतोड़ काश्तकार थे तथा बन्दोबस्त विभाग ने सुखुआ के वास्तविक एवं मौके के कब्जे के अनुसार सुखुआ को खातेदार अंकित किया है। विवादित आराजी पर गोकुला की कभी भी हैसियत खातेदार की नहीं रही तथा गोकुला के खातेदारी इन्द्राजात फर्जी हैं। अपीलाण्ट विवादित भूमि पर शिकमी के नाते खातेदारी कहते हैं किन्तु उनके द्वारा शिकमी सिद्ध नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त, तनकीवार निर्णय पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित सात तनकियॉ कायम की हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

6. <u>तनकी संख्या 01</u> **"आया आराजी विवादग्रस्त के अभिलिखित खातेदार काश्तकार वादीगण के पूर्व पुरूष गोकुला थे। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 07 स्व0 गोकुला के**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उत्तराधिकारी हैं। स्व0 करूआ ने अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत दिनांक 04.11.1996 को वादीगण के पिता चिम्मन के पक्ष में निस्पादित की थी'' अपीलाण्ट/वादीगण विवादित आराजी को शिकमी कृषक के आधार पर खातेदारी प्राप्त होना बताते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा गोकुला को उपकृषक होने का तथ्य साबित नहीं करने के कारण विरूद्ध अपीलाण्ट/वादीगण तय की है। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नकल खसरा गिरदावरी संवत 2010–12 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 103 के कॉलम संख्या 06 ''नाम उपकृषक'' में सुखुआ पुत्र हरफूल जाति धोबी नौतोड काश्तकार संवत 1996 एवं गोकुला बल्द पूरना कौम धोबी बतौर शिकमी संवत 2006 अंकित है एवं इसी क्रम में संवत 2013–16 की खसरा गिरदावरी में इन्द्राज हैं। उक्त खसरा गिरदावरी के अंकन से गोकुला का उपकृषक होना भलीभॉत साबित होता है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध प्रमाणित प्रति नामान्तकरण संख्या 243, जमाबन्दी संवत 2016–19 एवं 2020–2023 में भी विवादित आराजी गोकुला पुत्र पूरना के नाम बतौर खातेदारी में दर्ज है। अतः विवादित आराजी में गोकुला की खातेदारी पूर्णतः एवं निर्विवाद रूप से सिद्ध होती है, जो बाद भू प्रबन्ध, बन्दोबस्त कर्मचारियों ने परिवर्तित कर सुखुआ के नाम दर्ज कर दिये हैं। हमारी दृष्टि में भू प्रबन्ध के अंकन क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण अवैध हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम तनकी वहक अपीलाण्ट/वादीगण पाते हैं।

7. <u>तनकी संख्या 02</u> **''आया बन्दोबस्त विभाग को खातेदारी इन्द्राजात परिवर्तित करने के अधिकार प्राप्त नहीं थे। बन्दोबस्त द्वारा किये गये आराजी विवादग्रस्त की खातेदारी के सुखुआ नाम इन्द्राजात व मुकाबले हकूक वादीगण शून्य व बेअसर हैं''** तनकी संख्या 01 की विवेचना में गोकुला का उपकृषक होना पाये जाने पर भू प्रबन्ध के अंकन क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण अवैध माने गये हैं। अतः तनकी वहक अपीलाण्ट/वादीगण तय की जाती है।

8. <u>तनकी संख्या 03</u> **'' आया वादीगण आराजी विवादग्रस्त में 2/3 भाग की हकूक खातेदारी उदघोषित करवाने, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 4 की खातेदारी के गलत इन्द्राजों को लोपित करवाने तथा स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी हैं''** चूंकि तनकी संख्या 01 व 02 अपीलाण्ट/वादीगण के पक्ष में तय हो चुकी है। अतः अपीलाण्ट/वादीगण स्वत्व घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने के अधिकारी हैं।

9. <u>तनकी संख्या 04 लगा0 06</u>– तनकी संख्या 01 लगायत 03 पर आधारित हैं। चूंकि तनकी संख्या 01 लगायत 03 वहक वाद निर्णित हुई हैं। अतः उक्त तनकियों की विवेचना प्रासंगिक नहीं है।

10. <u>अनुतोष</u> – चूंकि सभी तनकियॉ उपरोक्त विवेचना से वहक अपीलाण्ट/वादी के हक में तय हुई हैं अतः दावा वादी स्वीकार होने योग्य है। अपीलाण्ट को विवादित आराजी में 2/3 भाग का तथा रैस्पो0 संख्या 05 व 06 को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उद्घोषित किया जाकर रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 04 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञ पाबन्द किया जाता है।

11. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2012 अपास्त किये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

12. निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official